



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India
(Declared vide Govt. of India MHRD Notification NO. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

क्र. Cont./04/2025-26/40(एच)

दिनांक 23/06/2026

सूचना

संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन संख्या Cont./04/2025-26/23 दिनांक 25.05.2026 के संदर्भ में दिनांक 19 जून, 2026 को आयोजित साक्षात्कार उपरांत चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित उम्मीदवारों को संस्थान में निम्न पद पर नियुक्त किया जाता है।

S. No.	Name of the post	No. of Post	Consolidate d Monthly Salary	Name of Selected Candidate
1.	Consultant	01 UR	Rs. 100000/-	1. Mr. Vikrant Surve

- उपरोक्त पद हेतु यह नियुक्ति कार्य पर उपस्थिति दिनांक से 1 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, की अवधि हेतु होगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं संविदा आधार पर है जिसमें नियमितीकरण एवं विस्तार का कोई प्रावधान एवं अधिकार निहित नहीं है।
- उक्त पद के सम्मुख वर्णित समेकित वेतन प्रतिमाह देय होगा, जिसका भुगतान पूरे माह के दौरान कार्य दिवसों के उपस्थिति एवं कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर निर्भर करेगा।
- उक्त वर्णित संविदा कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश एवं संस्थान में लागू अवकाश के अलावा 08 आकस्मिक अवकाश और पूरे वर्ष के दौरान 2 दिवस के वैकल्पिक अवकाश (Restricted Holiday) की पात्रता होगी।
- संस्थान को यह अधिकार होगा कि आपको एक माह पूर्व की सूचना या वेतन देकर आपकी नियुक्ति समाप्त की जा सके, आपको यह भी अधिकार होगा कि उक्त पद से त्याग-पत्र देने से एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- चयनित उम्मीदवार को सूचना जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपकुलसचिव, स्थापना, एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(प्राधिकार:- कुलपति महोदया का अनुमोदन दिनांक 22.06.2026)

यत्नेन्द्र सिंह 23/06/26
(प्रो. यत्नेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव, प्रभारी

प्रतिलिपि:-

- कुलपति सचिवालय,
- कुलसचिव सचिवालय,
- वित्त अधिकारी,
- उपकुलसचिव स्थापना, की ओर इस आशय से कि वे उक्त चयनित उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किये जाने उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु।
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी
- संबंधित पंजी